डेंगू नियंत्रण के संबंध में सीएमएचओ ने निजी अस्पताल प्रबंधकों की ली बैठक : डेंगू से बचाव के लिए जनसामान्य बरतें सावधानी

❒ डेंगू नियंत्रण रोकथाम हेतु कंट्रोल रूम नं. 9893362364 पर दे सकते है सूचना

रायगढ़

डेंगू के बढ़ते प्रकरण को देखते हुए सीएमएचओ डॉ.बी.के.चंद्रवंशी ने आज स्वास्थ्य कार्यालय के आरोग्यम् सभाकक्ष में समस्त शहरी क्षेत्र के निजी अस्पताल के प्रबंधकों की बैठक ली।

बैठक में सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी ने निजी चिकित्सालयों/ पैथॉलाजी लैब के प्रभारियों को कहा कि डेंगू नियंत्रण के तहत विशेष रूप से रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की जांच के उपरांत धनात्मक पाये जाने पर पुष्टिकरण हेतु 5 एमएल एवं 1 एमएल सीरम सैंपल मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा जाना है। जहां पुष्टिकरण पश्चात स्वास्थ्य विभाग घोषणा करेगा कि संबंधित मरीज में डेंगू पॉजीटिव पाया गया है। कोई भी पैथालॉजी लैब/ निजी चिकित्सालय डेंगू पॉजीटिव है रेपिड डायग्नोस्टिक के आधार पर घोषणा नहीं करेंगे। उन्होंने समस्त पैथॉलाजी लैब / निजी चिकित्सालयों बालाजी अस्पताल, अशर्फी देवी अस्पताल, डॉ. आर.एल हास्पिटल,डॉ आर.पटेल, पैथॉलाजी, संजीवनी हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, अनुपम डायग्नोस्टिक, आरोग्यम्, सिद्वी विनायक हॉस्पिटल, बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल, जे.एम.जे हास्पिटल, रायगढ़ हॉस्पिटल, हाई टेक पैथॉलाजी, सिटी पैथॉलाजी, गुरूदेव हास्पिटल, ओ.पी.जिंदल हास्पिटल ,अंकुर हॉस्पिटल, कान्हा हॉस्पिटल, गंगा नर्सिंग होम, अपेक्स हॉस्पिटल से कहा कि जिन- जिन मरीजों का अपने निजी पैथालॉजी में जांच करते है तो उनका संपूर्ण पता एवं विवरण, मोबा.नं. के साथ दर्ज करते हुए रिफरल स्लीप के साथ मेडिकल कालेज को रिसीव करें ताकि कान्टेक्ट ट्रेसिंग व अन्य मरीजों की हिस्ट्री पता करने में दिक्कत न हो। समस्त निजी चिकित्सालय में से जिले के अंतर्गत बड़े निजी चिकित्सालयों में मरीजों की भर्ती हेतु पर्याप्त व्यवस्था के रूप में डेंगू मरीजों की बेड मच्छरदानी लगवायें और उनका रोकथाम इलाज जारी रखे।

इस अवसर पर जिला मलेरिया डॉ.टी.जी. कुलवेदी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ बी.पी.पटेल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक श्री.पी.डी. बस्तियां उपस्थित रहे।

डेंगू से बचाव के लिये बरते सावधानी

डेंगू का मच्छर आम मच्छरों से अलग होता है और ये दिन में काटता है। ऐसे में घर और आस-पास में मच्छरों को पनपने न दें। कूलर का उपयोग नहीं होने पर उसका पानी खाली करके रखें। कुलर में एक हफ्ता से रखा हुआ स्थिर एवं साफ -पानी, बिना ढ़के हुए प्लास्टिक एवं सीमेंट टैंक का साफ पानी, फ्रिज के पीछे ट्रे, गमले में जमा हुआ पानी, पशु एवं पक्षियों के लिए रखा हुआ साफ पानी, नारियल के खोल, टूटे हुए बर्तन एवं डिस्पोजल, गड्ढ़ो में बारिश का जमा हुआ साफ पानी, टायरों में जमा हुआ साफ पानी, अन्य ऐसे स्थान या वस्तु जिसमें स्थिर साफ पानी जमा हो रहा है वहाँ डेंगू के मच्छर पनपते है। घर की छत पर रखे गमलों या अन्य चीजों में पानी जमा न होने दें। जमे हुए पानी के गड्ढ़ों में जला हुआ मोबिल, तेल डाल दें जिससे ऑक्सीजन न मिलने के कारण डेंगू मच्छर के लार्वा नष्ट हो जाते है। मच्छरों से बचने हेतु मच्छरदानी का उपयोग दिन में भी करें। फल आस्तीन के कपडें पहनें। घर के दरवाजो व खिड़कियों में जाली लगवायें।

डेंगू नियंत्रण रोकथाम हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसमें डेंगू से संबंधित जानकारी कंट्रोल रूम नं. 9893362364 पर सूचित कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

नगरीय निकायों में 6 अगस्त को होगा जनसमस्या निवारण शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। नगरपालिका और नगर पंचायत में जनसमस्या निवारण शिविर मंगलवार 6 अगस्त को नगरपालिका परिषद सारंगढ़ के वार्ड 11,12 के लिए कमलानगर इंद्राचौक रंगमंच में, नगर पंचायत बरमकेला में वार्ड 13 और 14 के लिए वार्ड 13 के इतवारिन घर के पास रंगमंच में, सरिया के वार्ड 13 और 14 के लिए डीपा सौंरापारा चौपाल में, नगर पंचायत बिलाईगढ़ में वार्ड 10,11,12,13,14 के लिए बिलाईगढ़ के मित्तल चौक देवांगन समाज भवन में आयोजित होगा।

पत्नी की सिर कुचलकर हत्या

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। जिले के सीपत थाना क्षेत्र में रविवार को पति पत्नी के बीच विवाद के बाद पति ने पत्थर के लोढ़े से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है, मामले में पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत नरगोड़ा में रहने वाले टीकाराम श्रीवास(50) का विवाह लगभग 20 साल पहले ग्राम गतौरा निवासी गिरजाबाई श्रीवास से हुआ था। विवाह के बाद पति पत्नी के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद होने लगा। जिस वजह से पिछले 12 साल से दोनों अलग रहने लगे। पति ग्राम नरगोड़ा में रहता था, वही महिला अपने दो बच्चों को लेकर बिलासपुर में किराए के मकान में रहने लगी। रविवार को हरेली पर्व के दिन महिला अपने पति से मिलने ग्राम नरगोड़ा आई हुई थी। इसी दौरान दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई। दोपहर लगभग एक बजे पति ने पत्थर के लोढ़े से वार कर पत्नी को घायल कर दिया। मोहल्ले के लोग उनकी आवाज सुनकर घर की ओर गए। तब पति ने हत्या की घटना को अंजाम देने की बात कहीं। जहां मोहल्लेवासियों ने आरोपी टीकाराम श्रीवास को पकडक़र इस घटना की सूचना सीपत पुलिस की टीम को दी। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई हैं।

बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिरा, मौत

रायपुर (आरएनएस)। छतौना चौक के पास बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में मंदिरहसौद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मनीष साहू 42 वर्ष धरमपुरा माना का रहने वाला है। बताया जाता है कि मनीष अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 पीटी 4936 से कहीं जा रहा था, तभी छतौना चौक के पास मनीष अनियंत्रित होकर गिर गया। जिससे उसके सिर पर चोट आई और उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले को जांच में लिया है।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम चरौदा के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक पूर्णचंद तारक 23 वर्ष ग्राम डोमा का रहने वाला था। बतााया जाता है कि वह अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी ग्राम चरौदा के पास ट्रक क्रमांक सीजी 22 आर 6683 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहनर चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दिया। जिहससे पूर्णचंद तारक की मौत हो गई। मामले में आरंग पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

छत्तीसगढ़ में अब तक 670.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर । आरएनएस

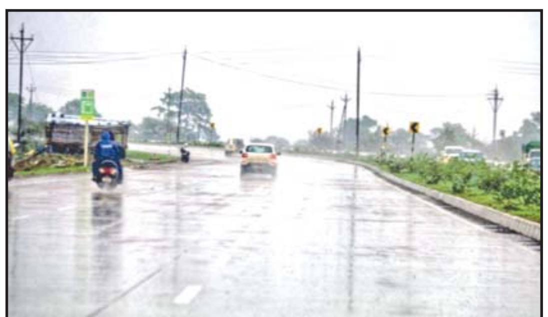

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 670.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 05 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1504.7 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 309.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 538.0 मिमी, बलरामपुर में 834.3 मिमी, जशपुर में 507.1 मिमी, कोरिया में 550.0 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 568.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 598.5 मिमी, बलौदाबाजार में 741.2 मिमी, गरियाबंद में 646.4 मिमी, महासमुंद में 499.2 मिमी, धमतरी में 667.8 मिमी, बिलासपुर में 621.2 मिमी, मुंगेली में 668.4 मिमी, रायगढ़ में 548.1 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 342.8 मिमी, जांजगीर-चांपा में 597.0 मिमी, सक्ती 513.7 कोरबा में 775.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 598.3 मिमी, दुर्ग में 440.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 547.6 मिमी, राजनांदगांव में 747.8 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 852.7 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 516.9 मिमी, बालोद में 801.1 मिमी, बेमेतरा में 413.0 मिमी, बस्तर में 734.4 मिमी, कोण्डागांव में 743.7 मिमी, कांकेर में 962.4 मिमी, नारायणपुर में 854.4 मिमी, दंतेवाड़ा में 884.0 मिमी और सुकमा जिले में 1000.1 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

जिला शिक्षा अधिकारी वर्षा बंसल ने किया स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण, अनुपस्थित शिक्षकों को दिया गया कारण बताओ नोटिस

सारंगढ़ बिलाईगढ़

जिला शिक्षा अधिकारी डा. वर्षा बंसल ने सारंगढ़ विकासखंड के मल्दा ब और बरमकेला विकासखंड के अंतर्गत बेंगची का आकस्मिक निरीक्षण किया एवम आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मल्दा ब में औचक निरीक्षण किया जहां प्राथमिक, माध्यमिक और हाईस्कूल के सभी शिक्षक समयानुसार उपस्थित मिले। डीईओ वर्षा ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई, शौचालय का नियमित उपयोग के संबंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय कक्षों का निरीक्षण करते हुए बच्चों से पठन पाठन संबधित गतिविधियों से भी रूबरू हुए। उन्होंने संकुल प्राचार्य और शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते हुए बेहतर करने को प्रेरित किया। डीईओ ने छः अगस्त को होने वाली शिक्षक पालक बैठक की तैयारियों के संबंध भी जानकारी लेते हुए कार्यक्रम आयोजन के संदर्भ मे निर्देश दिए। इसी प्रकार बरमकेला विकासखंड के अंतर्गत बेंगची विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दरम्यान हाईस्कूल से एस पी सिदार, एल पी पटेल तथा माध्यमिक शाला बेंगची से युधिष्ठिर नायक अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, वही कुछ शिक्षक निरीक्षण के दौरान विद्यालय पंहुचे। डीईओ वर्षा बंसल ने सभी शिक्षकों को शालेय समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए निर्देशित किए।

रेलवे बोर्ड के सदस्य ने रेल मंडल रायपुर के कार्यों का किया निरीक्षण, रायपुर से नागपुर तक देखी व्यवस्था

रायपुर । आरएनएस

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में दिनांक 03 अगस्त,2024 को रेलवे बोर्ड से (मेम्बर इंफ्रा) अनिल कुमार खंडेलवाल का रायपुर से नागपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों का निरीक्षण किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में यात्री सुविधाओं के लिए चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों, अमृत भारत स्टेशन योजना, रेलवे ट्रेक, सहित अन्य रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही रायपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक के साथ रायपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।

दुर्ग स्टेशन पर कार्यरत रेलवे कर्मियों से मुलाकात कर उनके वर्किंग प्रणाली को जाना एवं उनका दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की रेलवे ट्रेकमैन की गैंग से रेल संरक्षा संबंधित चर्चा की।रेलवे अधिकारियों से चर्चा के दौरान मेंबर इंफ्रा ने रेल साधन-संसाधनों का उचित प्रयोग एवं टीमवर्क पर जोर दिया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक गति शक्ति आशीष मिश्रा, अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन बजरंग अग्रवाल, बिलासपुर मुख्यालय के संबंधित अधिकारी एवं रायपुर रेल मंडल के अधिकारी उपस्थित रहे।

सिवनी के जंगल में लकड़ी लेने गए ग्रामीणों पर भालू ने किया हमला, दो गंभीर रूप से घायल

बिलासपुर-रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में सिवनी के जंगल में लकड़ी लेने गए ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। इससे एक ग्रामीण की मौत हो गई है। दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सिम्स में रेफर किया गया है। घटना मरवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत सिवनी बदरोड़ी ग्राम पंचायत की है। रविवार सुबह घासीराम पिता (45) निवासी सिलवारी सिवनी, संतलाल चौधरी (40) व छाबलाल गोंड (28) समेत अन्य ग्रामीण तेंदू की टहनी लेने जंगल गए थे। ग्रामीण कोकड़ा टोला बदरोड़ी के जंगलों में तेंदू की पेड़ तलाश रहे थे। तभी उनका सामना एक भालू से हो गया।मादा भालू के साथ दो शावक भी विचरण कर रहे थे। ग्रामीणों को देखकर भालू ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से ग्रामीणों ने भाग कर अपनी जान बचाई। इस दौरान तीन ग्रामीण भालू के हमले की शिकार हो गए। सभी के सिर में गहरी चोट आई। शरीर के अन्य हिस्सों पर जख्म हैं। घासीराम की एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई है। वहीं, 28 वर्षीय छाबलाल ने भालू के नोचने से दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में भालू के हमले की जानकारी गांव वालों को मिली और वे जंगल गए। ग्रामीणों को देखकर भालू जंगल की ओर भाग गया। घायलों को 108 संजीवनी एक्सप्रेस मरवाही के माध्यम से सीएचसी मरवाही लाया गया। यहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए पहले जिला अस्पताल रेफर किया गया और बाद में दोनों को उपचार के लिए सिम्स बिलासपुर भेज दिया गया है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग भी लगातार समझाइश देकर अभी जंगल न जाने की अपील कर रहा है।

पंचपारा संकुल के स्कूलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु एमडीएम में परोसा गया मुनगा भाजी युक्त दाल

रायगढ़

राज्य शासन के निर्देशानुसार बच्चों के शारारिक विकास हेतु मध्यान्ह भोजन मे पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाना है, जिसके लिये बच्चों को शाला में मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। जिससे बच्चों का समुचित विकास हो सके जिसके लिये मध्यान्ह भोजन में मीनू के साथ बच्चों को प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में बच्चों को मिले इसके लिये मध्यान्ह भोजन में दाल दिया जाना अनिवार्य होता है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के द्वारा शिक्षा विभाग की मध्यान्ह भोजन की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि मध्यान्ह भोजन के दाल में अभी बरसात की सीजन में मुनगा भाजी डाल कर दाल पकाकर बच्चों को परोसा जाये। उक्त निर्देश के परिपालन में मध्यान्ह भोजन में विकास खंड शिक्षा अधिकारी पुसौर दिनेश कुमार पटेल एव विकास खंड स्रोत समन्वयक शैलेन्द्र मिश्रा, संकुल शैक्षिक समन्वयक पंचपारा श्रवण कुमार साव के मार्गदर्शन व समस्त प्रधान पाठकों के समन्वय से पंचपारा संकुल के सभी प्राथमिक एव माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन मे दाल के साथ मुनगा भाजी परोसा जा रहा है। संकुल पंचपारा के जिन विद्यालय में आज प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला पंचपारा, प्राथमिक शाला मौहापाली, प्राथमिक शाला सुकुलभठली, प्राथमिक शाला नावापारा, प्राथमिक शाला कोसमंदा में मुनगा भाजी के साथ दाल परोसा गया तथा विद्यालय के मध्यान्ह भोजन संचालन समूह के विशेष सहयोग से मुनगा भाजी बच्चों को प्रदान किया जा गया।

गंगा जमुना गोल्ड नमकीन में पर्याप्त लेबलिंग नहीं करने पर 3 संस्थानों पर कुल 5.55 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित

❒ खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा दाखिल प्रकरण में अपर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

गरियाबंद । आरएनएस

गंगा जमुना गोल्ड नमकीन के पैकेट पर सही जानकारी युक्त पर्याप्त लेबल नही किए जाने और नियमानुसार पोषण संबंधी जानकारी भी प्रदर्शित नही किए जाने पर 3 संस्थानों पर कुल 5 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना मिथ्याछाप खाद्य सामग्री बेचने वाले 2 संस्थान और 1 विनिर्माता पर लगाया गया है। इनमें गंगा जमुना नमकीन के विक्रेता राज डेली नीड्स एंड जनरल स्टोर्स गरियाबंद पर 25 हजार रुपए, जय शारदा स्टोर्स नवापारा राजिम पर 30 हजार रुपए एवं खाद्य उत्पाद के विनिर्माता गणपति नमकीन लभराखुर्द महासमुंद पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों से यह अपील की गई है कि जिले में खाद्य गुणवत्ता से संबंधित शिकायत के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मोबाइल नंबर 9340597097 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकते है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गरियाबंद तरुण बिरला ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर गरियाबंद के राज डेली नीड्स एंड जनरल स्टोर्स पर गंगा जमुना गोल्ड नमकीन का सैंपल लिया गया था। संकलित नमूना को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। ग्राहकों को बेचे जाने वाले उक्त खाद्य सामग्री के लेबल में त्रुटी होने के कारण मिथ्याछाप घोषित किया गया था। मिथ्याद्याप पाए गए खाद्य के प्रकरण में नियमानुसार जांच पूर्ण कर अपर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी अरविंद पाण्डेय द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई करते हुए प्रकरण में आदेश पारित किए गए है। जिनमे कुल 5 लाख 55 हज़ार रुपये की शास्ती अधिरोपित की गई है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उक्त खाद्य उत्पाद गंगा जमुना नमकीन ब्रांड के पैकेट पर्याप्त जानकारी युक्त लेबल नही लगा पाया गया। जिससे उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री संघटकों की जानकारी नहीं मिल पाएगी। यह खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2020 का उल्लंघन है। इसी प्रकार लेबल पर पोषण सूचना भी नियमानुसार नही पाया गया है। उक्त से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लंघन पाया गया। उक्त कारणों से संस्थानों पर कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता कोई भी उपभोग किये जा रहे खाद्य की क्वालिटि, संघटक, विनिर्माता का नाम पता, पोषण मूल्य, शाकाहारी, मांसाहारी आदि सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखते है। इसलिए विनिर्माण परिवहन, वितरण तथा विक्रय के सभी स्तरों पर खाद्य कारोबारकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा विनिर्माण, परिवहन, वितरण अथवा विक्रय किये जा रहे खाद्य का लेबल खाद्य सुरक्षा मानक लेबलिंग तथा प्रदर्शन विनियम 2020 के अनुपालन में हो। जिससे उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों को खाद्य के संबंध में स्पष्ट, उचित तथा सही जानकारी प्राप्त हो। जिससे उपभोक्ताओं को स्वयं के स्वास्थ्य की परिस्थितियों के अनुसार खाद्य का चुनाव करने में सुगमता हो।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU